

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

क्र फर्द अहकाम


सू. नं० 139/17 तारीख 2 नवंबर 2017

उजवान - कलुवा वनाम तहसीलदार
गहस्वा

बाबा इन्द्राज इकती अन्तर्गत धारा 136 पार

पाकी की ओर से श्री रमेशचन्द्र शैनी ए. ए. के. के. से
बाबा इन्द्राज इकती व धारा 88 घोषणा
जमा बन्दी व शपथपत्र का
अपलो कन किया गया। बाबा दर्ज रजिस्ट्रर कर
प्रतिवादी को जरिये सम्मन से तलब कर दिनांक
16.11.17 को पेश हो।

5085-86
6/11/17


जगदीश अरोरा
उप जिला कलक्टर
टोडाभीम

16-11-17 काशी वकील उपस्थित प्रतिवादी
नं० 1, 2 की तामील डी - चुकी है,
वाकलूड सूचना कोही उपस्थित
नहीं हुआ है उनके खिलाफ फुलनका
कार्रवाई असल में जारी जारी है,
बाबू साहयवादी दिनांक 14.12.17
को पेश है

14/2/17

वादी वकील उपर/साक्ष्य पेश करने के लिए समय नहीं दिया गया वास्तु साक्ष्य वादी दि 16-1-18 को पेश हो।

16-1-18

वादी वकील उपर/वादी साक्ष्य पेश करते दि 31-1-18 को पेश हो।

31-1-18 कागुवा

वादी वकील उपर/वादी ने शपथ पत्र पेश किया जो शामिल फावली है वास्तु साक्ष्य वादी दिनांक 21-2-18 को पेश हो।

21.2.18

बकलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी चुनाव कार्य है। अतः पत्रवाली जतावतार दिनांक 19-3-18 को पेश हो।

19.3.18

व्यापार

आवकाश 20.3.18

वादी वकील उपर/शपथ पत्र पेश किया/शांति रहे/वादी वकील ने वादी साक्ष्य बैंड काशी वाले बरस दि 9.4.18 को पेश हो।

9.4.18

वादी वकील ने दा. शीघ्र चुनाव पेश करने पर पत्रवाली तलब की गई वादी वकील ने बहाने सुनने पर कफा रिपॉर्ट बहाने सुनने पर इन्चार्ज इकली योग्य ठहरे है दा. उषी कि. जाता है इन्चार्ज इकली का आदेश जारी है/पत्रवाली जतावतार होगा दा. विल दफ्त हो।

उप जिला न्यायाधीश रोडाभीम (करोली)